प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नेमीचंद बालेटिया महावीर सिनेमा रोड, महावीर कोलोनी सुमेरपुर जिला पाली		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		14 /2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

28.03.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 15.04.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	336-37 28-3-19
15.04.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) ने व्यक्त किया। अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2019 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नही होने के कारण संबधित सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर को निर्देश दिये गये कि अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 8 दिनांक 02.01.2019 को विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को जरिए पत्रांक 09 दिनांक 02.01.2019 से पुनः सूचित किया जा चुका है।अतःअपीलांट की अपील खारिज की जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर को अंतरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का आवेदन पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर को अंतरित किया गया।जो विधीवत है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:59:56 IST
Reason: SelfAttested